संख्या ए-2-2699/दस-15/1(19) 69

प्रेषक,

श्री जी0एस0श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त(लेखा)अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 1983

विषय:- सरकारी ठेको के सम्पादन के लिए ठेकेदारो से नकद जमानत के बदले अनुसूचित बैंको की गारन्टी प्राप्त करने के प्रस्ताव का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ए-2-3280/दस-82-15-1(19)69, दिनांक 22-4-83 के अनुक्रम मे मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि बैंक गारन्टी बांड के पहले प्रस्तर में उल्लिखित "एग्रीमेंट" मे यदि किसी प्रकार के मतभेद पर पंच निर्णय हेतु "आर्बीट्रेशन" का प्राविधान रखा गया हो तो संबंधित ठेकेदार तथा बैंक को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए बांड के तीसरे प्रस्तर में शब्दावली "before any Court or Tribunal " के आगे शब्द "or Arbitrator" जोड़ने हेतु विशेष बल दिया जाय। जो ठेकेदार/बैंक ऐसा करने के लिए सहमत न हों उनकी बैंक गारन्टी स्वीकार न की जाय और ठेकेदार से नियमानुसार नकद जमानत जमा कराई जाए।

भवदीय,

(जी0एस0श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या ए-2-2699(1)(दस-1983

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3- सचिव भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग(बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली।
4- नियंत्रक महालेखापरीक्षक, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- रिजर्व बैंक आफ इंडिया, डी0बी0ओ0डी0, सेन्टल आफिस, बम्बई।
6- शासकीय हस्तान्तरक, न्याय(लेखा)अनुभाग।

आज्ञा से,

(जी0एस0श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।